



गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाज़ियाबाद
(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खसरा सं.-493 मि. राजस्व ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद के क्षेत्रफल 1536.00 वर्ग मी. भूमि पर मै. एम.वी.ए. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. द्वारा श्रीमती अन्जु धामा पत्नी श्री वी.के. धामा द्वारा होटल का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेंट प्लान-2021 जोन-1 के अनुसार खसरा सं.-493 का भू-उपयोग 45.0 मी. चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि को छोड़ने के उपरान्त शेष भाग आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उक्त भू-उपयोग में गाजियाबाद महायोजना-2021 में निहित जोनिंग रेग्लेशन के प्राविधानों के अनुसार होटल क्रिया सामान्यतः अनुमन्य है। इस निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति / सुझाव उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति / सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति / सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गा.वि.प्रा. के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति / सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, : @Gda Ghaziabad, : gdagzb
हेल्पलाईन नं: 0120-6110433, फ़ाट्सएप: 9990988004, वेबसाईट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर..... हमारा संकल्प